प्रेषक,

संख्याः 338033/93590/ FCD-IRFC/FFCG/6/ 2025

हिमांशु खुराना,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
31/62, राजपुर रोड,
देहरादून।

वित्त विभाग अनुभाग–1 :: देहरादून :: दिनांकः 16 अक्टूबर, 2025

विषयः– 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नगर पालिका साझा सेवा केन्द्रों (MSSCs) की योजना के कियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रथम किश्त की धनराशि अंतरित किये जाने करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संदर्भ में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (वित्त आयोग प्रभाग), नई दिल्ली के शासनादेश सं0– 8 (3) FCD/2025-26, दिनांकः 09.10.2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत "नगर पालिका साझा सेवा केन्द्रों **(MSSCs)**" की योजना के कियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0 11.40 करोड़ (रू0 ग्यारह करोड़ चालीस लाख मात्र) की धनराशि संबंधित स्थानीय निकाय/संस्था को अंतरित किये जाने के लिये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– सहायता अनुदान की उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अंतरित की जा रही हैः–

1. अनुदान का उपयोग अवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश सं0–K-14011/3/2021MSSSCs/9111561, दिनांकः 15.05.2025 में निर्गत परिचालन दिशा–निर्देशों एवं 15वॉ वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय–7 में की गई सिफारिशों के अनुसार किया जायेगा।
2. प्रत्येक MSSCs को दो या अधिक नगर पालिकाओं/ शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के बीच सहयोग हेतु सम्मिलित किया जायेगा, ताकि संयुक्त रूप से नगर पालिका कार्यो और सेवाओं जैसेंः नागरिक सुविधा (जन्म/ मृत्यु प्रमाण–पत्र, व्यापार लाईसेन्स, शिकायत निवारण और पासपोर्ट सेवा केन्द्रों के समान मॉडल का उपयोग करके अन्य सेवाएं), केन्द्रीकृत प्रसंस्करण (लेखा, विक्रेता भुगतान, पेरोल प्रसंस्करण आदि) और क्षेत्र स्तरीय संचालन (संग्रह, रख–रखाव और अन्य अंतिम मील सेवाएं) प्रदान की जा सकें।
3. शहरी स्थानीय निकायों की गतिविधियों, प्रगति की निगरानी और आवास एवं शहरी मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु समन्वय किये जाने के लिये नोडल विभाग/ कार्यान्वयन एजेन्सी नामित की जायेगी।
4. इस घटक (Component) के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि का उपयोग केवल आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के अनुसार, सॉफ्टवेयर समाधानों के विकास, एकमुश्त हार्डवेयर खरीद, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आदि जैसी स्वीकार्य गतिविधियों के लिये किया जायेगा ताकि नगर पालिका साझा सेवाओं को सक्षम बनाया

No. FCD-IRFC/FFCG/6/2025-FCD-Finance Department (Computer No. 93590)
Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA BATHRI, RO Finance Section-I KCB, RO FINANCE, Finance Department on 16/10/2025 12:05 pm

जा सके। कर्मचारियों के वेतन, आवर्ती रख–रखाव संबंधी व्यय या परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) की लागत पर कोई व्यय नहीं किया जाएगा।

5. अंतरित की जा रही धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने की तिथि दिनांकः 09.10.2025 से 10 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित निकायों/ संस्था को हस्तांतरित करना सुनिश्चित किया जायेगा। दस कार्य दिवसों के बाद किसी भी विलम्ब के लिये ब्याज सहित किश्त की धनराशि संबंधित स्थानीय निकाय/ संस्था को किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित नोडल विभाग/ एजेन्सी का होगा।
6. नोडल विभाग/ कार्यान्वयन एजेंसियों को अलग से निधि खाता रखना होगा और प्रत्येक लेन–देने का रिकार्ड रखना होगा।
7. अंतरित की जा रही धनराशि के संबंध में अवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शासनादेश सं0–K-14011/3/2021MSSSCs/9111561, दिनांकः 15.05.2025 द्वारा निर्गत परिचालन दिशा–निर्देशों के साथ संलग्न जी.एस.टी. पर वांछित सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।
8. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150) 2019/ 2025, दिनांकः 31 मार्च, 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में निर्गत दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. शहरी विकास निदेशालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का संकलन कर, संकलित उपयोगिता प्रमाण–पत्र सचिव/सचिव, शहरी विकास से हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक स्थिति में 31 जनवरी, 2026 तक महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि भारत सरकार से द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करने हेतु अनुरोध किया जा सके।
10. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।
11. अलोटमेन्ट आई.डी. संलग्न है।
12. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 की आय–व्ययक की अनुदान सं0–07, लेखाशीर्षकः 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01– केन्द्र सहायतित योजना–01–नगर निगमों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनटाईड–56– सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोपरि।

DDO—

भवदीय,

Digitally signed by Himanshu Khurana
Date: 14-10-2025 18:08:58

(हिमांशु खुराना)
शासन सचिव।

e No. FCD-IRFC/FFCG/6/2025-FCD-Finance Department (Computer No. 93590)
ocated from eOffice by KAILASH CHANDRA PATHRI, PO-Finance Section-I-KFB, PO-FINANCE, Finance Department on 15/10/2025 12:05:27 pm.

संख्याः 338033 / 93590/ FCD-IRFC/FFCG/6/ 2025, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, वित्त विभाग (वि.आ.निदे.), उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला।
6. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल–पौड़ी/ कुमायूं मण्डल–नैनीताल, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी/ मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
11. समस्त संबंधित नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/ नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
12. समस्त संबंधित मुख्य/ वरिष्ठ/ उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव।

: FCD-IRFC/FFCG/6/2025-FCD-Finance Department (Computer No. 93590)
ted from e-Office by KAILASH CHANDRA BATUNI, PO Finance Section I, FCD, PO FINANCE, Finance Department on 14/10/2025 12:05 pm

वजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H25100070179
आवंटन पत्र दिनांक-16-OCT-2025

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	01-केंद्र सहायतित योजना
	01-नगर निगमों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनटाईड अनुदान (100% के0पो0)	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	1

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	210380278	114000000	210380278	324380278
योग	210380278	114000000	210380278	324380278

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.11,40,00,000 (Rupees Eleven Crores Forty Lacs Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2510:0008

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग–01
उत्तराखण्ड शासन